

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जांबा दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

ब अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एक.)

रूपेन्द्रजीत सिंह बनाम हरवेक सिंह आदि
दावा 88, 188 आर.टी.ए मुकदमा नं० 97/2012

निर्णय दिनांक :- 23.11.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिस्ताल कतई रुबरु उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री रमेश चन्द्र गुप्ता एवं प्रतिवादी अधिवक्ता मुधिष्ठर सिंह तैनी पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीए, वादी अधिवक्ता द्वारा नोटिसेन करने पर खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 23.11.2021 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एक.)}
सहायक कलक्टर एवं परेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	—
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	—
योग	04	00	योग	04	00





{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एक.)}
सहायक कलक्टर एवं परेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर